

क्रमांक :-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/06067/2019

जयपुर, दिनांक 24.12.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

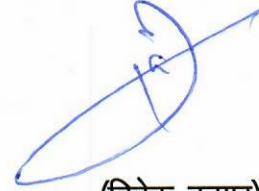
क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	3405	श्री किशोर कुमार गर्ग	कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोंही।	MA (English)	Mohan Lal Sukhadiya University, Udaipur
2	4150	श्री कमल कुमार मीणा	कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ब्लॉक नीमकाथाना, सीकर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
3	2465	श्री जयकिशन टाक	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बीकानेर।	M.Sc.(CS) Final Year (Lateral Entry)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
4	1624	श्री हंसराज प्रजापति	कार्यालय तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जयपुर।	M.Sc.(CS)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
5	466	श्री कैलाश चन्द्र,	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।	MA(Geography)	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar
6	526	श्री मनीष कुमार,	कार्यालय उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भरतपुर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
7	New IA Batch 2018	श्री दिनेश कुमार,	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।	M.Sc.(CS) Final Year	Jai Narain Vyas University, Jodhpur
8	4326	श्रीमती/सुश्री प्रीती सोलंकी	कार्यालय प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
9	New IA Batch 2018	श्रीमती/सुश्री निकिता	कार्यालय जे.के.लोन, हॉस्पिटल, जयपुर।	MCA (4th Semester)	IGNOU

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायको को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

Contd. P. 2.

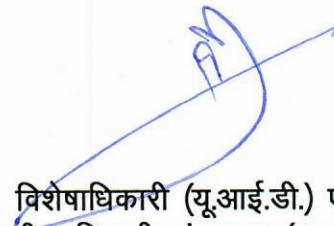
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)